6. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 यथा संशोधित के अनुसार दिव्यांगजन की निम्नलिखित श्रेणियों को आरक्षण का लाभ देय होगा :–

i. B/LV (Blindness/ Low vision)
ii. HI(Hearing Impairment)
iii. LD/CP(Locomotor Disability) Including Cerebral palsy, Leprosy Cured, Dwarfism, Acid attack victims & Muscular dystrophy
iv. Autism, Intellectual Disability, Specific Learning Disability & Mental Illness.
v. Multiple Disabilities from amongst persons under clauses (i) to(iv) including deaf- blindness in the posts indentified for each disabilities.

नोटः– परंतु संबंधित विभाग द्वारा पद विशेष के लिए उपरोक्त दिव्यांगजन श्रेणियों में से छूट/शिथिलन लेने पर उपयुक्त दिव्यांगजन श्रेणी को ही उस पद के लिए योग्य माना जायेगा।

5. पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यताः–

क.स.	विभाग का नाम	पद का नाम	आयु सीमा (01.01.2023)	शैक्षणिक योग्यता
1.	महिला अधिकारिता	पर्यवेक्षक (महिला अधिकारिता)	18–40 वर्ष	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक ।
2.	जल संसाधन विभाग	पटवारी	18–40 वर्ष	आवेदक विधि द्वारा स्थापित विवि से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष अन्य परीक्षा उत्तीर्ण जिसे सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की हुई है और NIELIT, New Delhi द्वारा आयोजित "ओ" लेवल या उच्च स्तर सर्टिफिकट कोर्स/ भारत सरकार के इलेक्ट्रोनिक्स विभाग के नियंत्रणाधीन डिपार्टमेन्ट आफ इलेक्ट्रोनिक्स एक्रीडिटेशन गवरमेन्ट आफ इंडिया (DOEACC) द्वारा आयोजित "ओ" लेवल या उच्च स्तर सर्टिफिकट या व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना के राष्ट्रीय परिषद(नेशनल कॉन्सिल) / राज्य परिषद(स्टेट कॉन्सिल) के अधीन आयोजित Computer operator & Programming Assistant (COPA) / Data Preparation and computer software (DPCS)कोर्स का प्रमाण पत्र या भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर साइंस/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा/डिग्री या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक पॉलिटेक्निक संस्थान से कम्प्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मे 3 साल का डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग एवं तकनीकी की किसी भी ब्रांच में डिग्री या राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के नियंत्रण में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा आयोजित राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इन्फोरमेशन टेकनोलोजी (RS-CIT)कोर्स का प्रमाण पत्र या देश में मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से उच्च माध्यमिक परीक्षा मे एक विषय के रूप मे कम्प्यूटर सांईस/कम्प्यूटर ऐप्लीकेशन का उच्च माध्यमिक प्रमाण पत्र या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी समकक्ष या उच्चतर योग्यता
	जल संसाधन विभाग	जिलेदार	18–40 वर्ष	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक ।
3.	गृह रक्षा विभाग	प्लाटून कमाण्डर	20–40 वर्ष	भारत में विधि द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या उसके समतुल्य अर्हता या नायाब सूबेदार या उससे ऊपर की रैंक का सम्यक् रूप से भूतपूर्व सैनिक।

4.	राजस्व मण्डल	तहसील राजस्व लेखाकार	21–40 वर्ष	1.भारत में केन्द्रीय या राज्य विधान–मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा निगमित विश्वविद्यालयों में से किसी विश्वविद्यालय की या संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में घोषित अन्य शैक्षणिक संस्था की डिग्री धारित करता हो या सरकार द्वारा, आयोग के परामर्श, मान्यता प्राप्त समतुल्य अर्हता रखता हो। या लागत तथा संकर्म लेखाकार संस्थान, कोलकाता की इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हुई चाहिए। या भारतीय चार्टर्ड एकाउटेन्ट संस्थान, नई दिल्ली की इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हुई होनी चाहिए। और इलेक्ट्रोनिक्स विभाग, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन डी.ओ.ई.ए.सी.सी.(एन.आई.ई.एल.आई.टी.) द्वारा संचालित "ओ" या उच्चतर लेवल प्रमाणपत्र पाठयक्रम। या व्यवसायिक प्रशिक्षण स्कीम की राष्ट्रीय/राज्य परिषद के अधीन आयोजित कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक (क.ऑ.प्रो.स.) /डाटा प्रेपरेशन और कम्प्यूटर सोफ्टवेयर (डा.प्रे.क.सो.) प्रमाण पत्र। या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान /कम्प्यूटर एप्लीकेशन/सूचना प्रौद्योगिकी में डिग्री डिप्लोमा। या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी पॉलिटेनिक संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान और इलेक्ट्रानिक्स/सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा। या राजस्थान नॉलेज कार्पोरेशन लिमिटेड के नियंत्रणाधीन वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय द्वारा संचालित राजस्थान राज्य सूचना प्रौद्योगिकी में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम (रा.रा.सू.प्रौ.प्र.प्रा.)
5.	कोष एवं लेखा विभाग	कनिष्ठ लेखाकार		
6.	कारागार विभाग	उप–जेलर	18–40 वर्ष	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक ।
7.	समेकित बाल विकास सेवाऐं	पर्यवेक्षक	18–40 वर्ष	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक ।
8.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	छात्रावास अधीक्षक ग्रेड–II	21–40 वर्ष	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक ।

जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा हो, जो इन नियमों में उल्लिखित पद के लिए शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता है या सीधी भर्ती के लिए उक्त पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा लेकिन वह/उसे उपयुक्त चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा,–

1. मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले, जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के दो चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है,
2. साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है।
3. लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहाँ केवल लिखित परीक्षा या केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाना है, जैसा भी मामला हो।

समान पात्रता परीक्षा हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले है या सम्मिलित हो रहे है अभ्यर्थी आवेदन कर सकेगें परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता मुख्य परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करनी अनिवार्य होगी। अन्यथा परीक्षा के बाद शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर) में शामिल पदों की भर्ती हेतु आयोजित भर्ती में पात्र नहीं माना जायेगा।

6.आयु:–समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर) में शामिल पदों की भर्ती के लिये आयु सीमा संबंधित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित अनुसार होगी। संबंधित पद के सेवा नियमों में वर्णित आयु सीमा, बिन्दु संख्या 5 पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता के कॉलम संख्या 04 में दर्शाये अनुसार होगी।

नोटः– राज्य सरकार द्वारा राजकीय सेवाओ में कोरोना के कारण अधिकतम आयु सीमा में दो साल की वृद्धि किये जाने की अधिसूचना प्रकियाधीन है। यह अधिसूचना जारी होने पर राज्य सरकार के आदेशो के अनुरूप अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट देय होगी। इस संबंध मे अधिसूचना जारी होने के पश्चात् अलग से भी संशोधन जारी कर दिया जायेगा।